प्रेस नोट दिनांक 25.02.2025
थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।

कुख्यात गैंगस्टर शातिर अपराधी अतीक अहमद व अशरफ अहमद के सगे रिश्तेदार, गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम व मो0 रजा उर्फ लल्ला गद्दी आदि द्वारा अनुचित/अवैध रूप से अर्जित किये गये धन से क्रय की गयी सम्पत्ति करीब 03 बीघा जमीन अनुमानित कीमत 5,29,44,360 रूपये (पांच करोड़ उन्नतीस लाख चौवालीस हजार तीन सौ साठ) को गैंगस्टर एक्ट के प्राविधान धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत किया गया जब्तीकरण।

श्रीमान जिलाधिकारी जनपद बरेली व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद बरेली के पर्यवेक्षण में, उप-जिलाधिकारी सदर जनपद बरेली व क्षेत्राधिकारी हाईवे जनपद बरेली के नेतृत्व में थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 105/24 धारा 2(ख)(VI) व 3(1) गैगस्टर अधिनियम** थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पुत्र मंसूर अहमद निवासी हटवा उपहार अहमदपुर असरौली, उपरहार, मनौरी, थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज के द्वारा अपने बहनोई कुख्यात शातिर एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधी रहे अशरफ अहमद के जिला कारागार बरेली में निरूद्ध होने पर जेल में अशरफ अहमद के द्वारा उक्त अब्दुल समद आदि के माध्यम से जेल के कर्मियों को उत्कोच देकर उनसे सांठ-गांठ कर जेल नियमों का उल्लंघन कर बन्दी अशरफ से मुलाकात कर उमेश हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की हत्या आदि करायी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर **मु0अ0सं0-86/2023 धारा 147/384/506/120बी/201/195ए/34/119 भादवि व 7/8/13 भ्रष्टाचार अधिनियम 42बी/54 कारागार अधिनियम 7 सीएल एक्ट बनाम अशरफ अहमद** आदि पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही से नामजद व प्रकाश में आये अभियुक्तगण के विरूद्ध **मु0अ0सं0 105/2024 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम गैंग लीडर अब्दुल समद आदि पंजीकृत** होकर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पाया गया कि अब्दुल समद उर्फ सद्दाम के द्वारा बरेली शहर में अपना अस्थाई मकान नम्बर 105 खुशबू इनक्लेव फाईक इन्कलेव थाना बारादरी जनपद बरेली में बनाकर मो0 रजा उर्फ लल्ला गद्दी आदि को अपने **आपराधिक प्रभाव में लेकर अनैतिक रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति से गाटा संख्या 530/531 रकवा 0.5810 हे0 में से 1/10 भाग करीब 03 बीघा जमीन भूमि स्वामी** श्री भगवान सिंह पुत्र खेमकरन निवासी ग्राम हारूनगला थाना बारादरी, बरेली से आपराधिक प्रभाव के कारण अपने द्वारा परिपोषित मो0 जाहिद पुत्र अबरार निवासी म0न0-165 बाकरगंज थाना किला, बरेली व मो0 इलियास पुत्र मो0 फारूख कुरैशी निवासी म0न0 708 आजम नगर थाना कोतवाली, बरेली के नाम पर 01 करोड़ रूपये में क्रय कर प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको विवेचक निरीक्षक अपराध श्री वेद सिंह थाना बिथरी चैनपुर द्वारा नियमानुसार **धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत** रिपोर्ट प्रेषित कर श्रीमान जिलाधिकारी जनपद बरेली के आदेश माननीय न्यायालय जिला अधिकारी मंडल बरेली जनपद तहसील वाद सं0 371/2025 कम्प्यूटीकरत वाद सं0- D 202512130000371 सरकार बनाम अब्दुल समद उर्फ सद्दाम आदि अन्तर्गत धारा 14(1) अधि0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 दिनांकित 19.02.2025 के आदेश के अनुपालन में नियुक्त प्रशासक उपजिलाधिकारी सदर बरेली के द्वारा क्षेत्राधिकारी हाइवे व थाना प्रभारी बिथरी चैनपुर व थाना प्रभारी बारादरी आदि की मौजूदगी में नियमानुसार ढ़ोल-नगाड़े बजवाकर व लाऊड हेलर के माध्यम से उद्घोषणा कर जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध अभियुक्त अब्दुल समद व मो0 रजा उर्फ लल्ला गद्दी व मो0 जाहिद आदि पर आदेश की प्रति तामील कराकर, जब्त/कुर्क की गयी सम्पत्ति पर माननीय न्यायालय के आदेश का संदर्भ अंकित

करते हुए होर्डिंग स्थापित कर नियमानुसार राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क/सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्तों के अन्य सहयोगी मो0 जाहिद, मो0 इलियास व मो0 राशिद आदि की संलिप्तता के सम्बन्ध में व अन्य सम्पत्ति की जाँचकर नियमानुसार कुर्क सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	रकबा	इकरारनामा अनुसार अंश व रकबा	वर्तमान प्रचलित बाजार भाव अनुसार मूल्य लगभग
(1) 530 (2) 531	0.0380 हे0 1.5430 हे0	1/10 भाग रकबा 0.1581 हे0	**5,29,44,360 रूपये (पांच करोड़ उन्नतीस लाख चौवालीस हजार तीन सौ साठ रूपये)**
कुल योग	**1.5810 हे0**		

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम उपरोक्त का आराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 105/24 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
2- मु0अ0सं0 86/23 धारा धारा 147,384,506,201,120बी,195ए,34,119 भादवि व 7/8/13 भ्रष्टाचार अधिनियम 42 बी/54 कारागार अधिनियम व धारा 7 क्रिमिनल लाँ एवेटमेन्ट
3- मु0अ0सं0 792/15 धारा 120बी,449,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज
4- मु0अ0सं0 687/16 धारा 120बी, 419,420,467,468 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज
5- मु0अ0सं0 921/20 धारा 153ए,504,506 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज
6- मु0अ0सं0 521/20 धारा 147,384,506,201,120बी,195ए,34,119 भादवि व 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 42 बी कारागार अधिनियम व 7 क्रिमिनल लाँ अमेण्डमेन्ट एक्ट थाना धूमनगंज प्रयागराज
7- मु0अ0सं0 211/23 धारा 419,420,467,468, 471,506 भादवि थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज
8- मु0अ0सं0 174/23 धारा 380,420,457,467,468,471,506 भादवि थाना बारादरी बरेली
9- मु0अ0सं0-31/24 धारा 386/120बी भादवि शाहगंज नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त मो0 रजा उर्फ लल्ला गद्दी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-1641/09 धारा 307/302/201/34 भादवि थाना बारादरी, बरेली
2- मु0अ0सं0-1445/19 धारा 323/452/354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना बारादरी, बरेली।
3- मु0अ0सं0 105/24 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
4- मु0अ0सं0 86/23 धारा 147,384,506,201,120बी,195ए,34,119 भादवि व 7/8/13 भ्रष्टाचार अधिनियम 42 बी/54 कारागार अधिनियम व धारा 7 क्रिमिनल लाँ एवेटमेन्ट
5- मु0अ0सं0-189/23 धारा 504/386/427 भादवि थाना बारादरी, बरेली।

टीम का विवरण-

1- श्री अभिषेक कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना बिथरी चैनपुर, बरेली
2- श्री वेद सिंह, निरीक्षक अपराध थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
3- उ0नि0 श्री शशांक सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
4- का0 619 अरूण कुमार थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।